

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइवेट) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 आदेश संख्या / 04 बोर्ड स्थापना / **72** / स्थानांतरण 2019-20 दिनांक **25** जून 2019
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152 / XXX(2) / 19 / 30(13) / 2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

संख्या, राज्यप्राविधिकी

क्रो सं	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	लीलावती नेही, संख्या, 03030, विज्ञान	राज्यप्राविधिकी अमरसौर, दुगड़ुड़ा	राज्यप्राविधिकी देवीखाल कोटा, बीरीखाल
2	अनीता उनियाल, संख्या, 03030 विज्ञान	राज्यप्राविधिकी जामलाखाल, कोटा	राज्यप्राविधिकी बगड़, पावौ
3	महेश्वरी, संख्या, 03030, सामान्य	राज्यप्राविधिकी बलोड़ी, पौड़ी	राज्यप्राविधिकी बमोली, द्वारीखाल
4	सन्तोष, संख्या, 03030, सामान्य	राज्यप्राविधिकी गृमखाल, द्वारीखाल	राज्यप्राविधिकी मेलधार, रिखणीखाल
5	सुदेश नेही, संख्या, 03030, विज्ञान	राज्यप्राविधिकी उमरीखाल, दुगड़ुड़ा	राज्यप्राविधिकी पाटली, द्वारीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमिति/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर ऊच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(कोई सरावत)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइवेट)
पौड़ी गढ़वाल।

पृष्ठा, 04 बोर्ड स्थापना / **2395-2406** / स्थानांतरण 2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की डयूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइवेट)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्तिशो) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बोस्थापो/ ७७ / स्थाना/0/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उप्राप्ति0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	दिग्गपाल सिंह बिष्ट, स0अ0, सामान्य	रा0उप्राप्ति0 बमोली, द्वारीखाल	रा0उप्राप्ति0 पल्ली, थलीसैण
2	रवीन्द्र सिंह रावत, स0अ0, सामान्य	रा0उप्राप्ति0 कसाणी, बीरीखाल	रा0उप्राप्ति0 बलोडी, पौड़ी
3	सतीशचन्द्र, स0अ0, विज्ञान	रा0प्राप्ति0 मुख्याखांद, नैनीडांडा	रा0उप्राप्ति0 भटोली, खिरू
4	जगमोहन सिंह, स0अ0, विज्ञान	रा0उप्राप्ति0 बगड, पाबौ	रा0उप्राप्ति0 जामलाखाल, कोट
5	सुरेश चन्द्र, स0अ0, विज्ञान	रा0उप्राप्ति0 पल्लीगांव शरणा, पाबौ	रा0उप्राप्ति0 मरगदना, पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(केएस0रावत)

जिला शिक्षा/अधिकारी(प्राप्तिशो)

पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बोस्थापो/ २५५५ - ६६ / स्थाना/0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की डयूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्तिशो)

पौड़ी गढ़वाल।

२५६१९

- 5— मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6— मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7— सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8— आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9— सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की डयूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10— सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11— सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12— कार्यालय पत्रावली।

25/01/19
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राठशि)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 आदेश संख्या/04बोस्थापो/ 75 /स्थाना०/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

सो30, रात्रोप्राप्ति

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकूर, स030, सामान्य	रात्रोप्राप्ति थकुलसारी, बीरौखाल	रात्रोप्राप्ति नऊ, बीरौखाल	I
2	नीलिमा मेवाड़, स030, विज्ञान	रात्रोप्राप्ति कटूली, खिर्सू	रात्रोप्राप्ति कुण्ड, यमकेश्वर	I
3	अरविन्द कुमार, स030, सामान्य	रात्रोप्राप्ति कोलरी, बीरौखाल	रात्रोप्राप्ति बसई कठवाड़ा, जयहरीखाल	IV
4	प्रेमलता गुर्जाई, स030, सामान्य	रात्रोप्राप्ति गवाणी, पोखड़ा	रात्रोप्राप्ति गूमखाल, द्वारीखाल	V
5	हरेन्द्र सिंह, स030, हिन्दी	रात्रोप्राप्ति पांग, पाँवौ	रात्रोप्राप्ति गवाणा मल्ला, पोखड़ा	VI
6	दिनेश कुमार, स030, विज्ञान	रात्रोप्राप्ति जिवई, बीरौखाल	रात्रोप्राप्ति डबराड़, रिखणीखाल	VI
7	ताजबर सिंह, स030, अंग्रेजी	रात्रोप्राप्ति गुणेडी, रिखणीखाल	रात्रोप्राप्ति पैनलगांव, जयहरीखाल	VI
8	सुनीता कण्डारी, स030, विज्ञान	रात्रोप्राप्ति उफल्डा, पौड़ी	रात्रोप्राप्ति कुठकण्डई, थलीसैण	VII
9	सुरेश चन्द्र देवरानी, स030, भाषा	रात्रोप्राप्ति चिलांउ, नैनीडांडा	रात्रोप्राप्ति बिलकोट, नैनीडांडा	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगम्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

३५११९
(कोएसोरावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्ति)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/04 बोस्थापो/ 2431-42 /स्थाना०/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 आदेश संख्या/04बोस्थापो/ 74 /स्थाना०/2019-20 दिनांक 25 जून 2019
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के समुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०30 रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	कादम्बरी बड़थवाल	रा०प्रा०वि० सरासू कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० धृवपुर, दुगड़ा	I
2	अनीता शाह	रा०प्रा०वि० ओडागाड़, पाबौ	रा०प्रा०वि० उज्जाड़ी, पौड़ी	II
3	सुमनलता रावत	रा०प्रा०वि० खीमाखेत, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० सकन्याणी, दुगड़ा	IV
4	विनीता पैन्यूली	रा०प्रा०वि० बालककोटी, कोट	रा०प्रा०वि० खोला, खिर्सू	IV

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(क०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्ति)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/04 बोस्थापो/ 2419-30 /स्थाना०/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार सहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्ति)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या / ०४ब०स्थाप० /

७।

/स्थाना०/ २०१९-२० दिनांक २५ जून २०१९

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-१५२ / XXX(2) / १९/३०(१३) / २०१७ दिनांक ०७ जून २०१९ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-७ एवं १७(१)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०प्रा० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	२	३	४
१	मंजू भट्ट	रा०प्रा०वि० खोला, खिर्सू	रा०प्रा०वि० कुचोली, थलीसैंण
२	सुधा गौड़	रा०प्रा०वि० सकन्याणी, दुग्ढडा	रा०प्रा०वि० डुग्ही, थलीसैंण
३	विमला रावत	रा०प्रा०वि० उज्ज्वाळी, पौड़ी	रा०प्रा०वि० बगेली, थलीसैंण

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(क०एस०रावत्)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्रशि०)

पौड़ी गढ़वाल।

प०स०/०४ ब०स्थाप०/ २३४३-९४ /स्थाना०/ २०१९-२० दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- ६- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ७- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ८- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- ९- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- १०- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- ११- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १२- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्रशि०)

पौड़ी गढ़वाल।

२०१९-२०

- 9— सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की डगूटी नगर निकाय चूनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त / कायभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10— सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11— सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालननार्थ।
- 12— कार्यालय पत्रावली।

२५८१८
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंशि)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 आदेश संख्या/04बोस्थापो/ ७६ / स्थाना०/2019-20 दिनांक २५ जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सो30 राप्राप्रवि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	उमिला नौटियाल	राप्राप्रवि० डिकालगांव, खिसू	राप्राप्रवि० चडीगांव, खिसू
2	सुदर्शन सिंह	राप्राप्रवि० भटकोट, कोट	राप्राप्रवि० बीरखाल, कोट
3	अरुण पुरी	राप्राप्रवि० डंगू खिसू	राप्राप्रवि० सौड, कोट
4	इमरान अहमद	राप्राप्रवि० मंज्याडी, दुगड़ा	राप्राप्रवि० भैडगांव, दुगड़ा
5	सुन्दर प्रकाश गिरी	राप्राप्रवि० मझेडा, यमकेश्वर	राप्राप्रवि० झण्डीचौड़ा उ०, दुगड़ा
6	अल्का पुण्डीर	राप्राप्रवि० ग्वाडीगाड, पाबौ	राप्राप्रवि० अगरोडा, कल्जीखाल
7	जितेन्द्र नाथ	राप्राप्रवि० नौसीन, द्वारीखाल	राप्राप्रवि० बण्ठोली, एकेश्वर
8	सतीशचन्द्र	राप्राप्रवि० परन्दा, यमकेश्वर	राप्राप्रवि० झण्डीचौड़ा, पश्चि०, दुग०
9	हरपाल सिंह कण्डारी	राप्राप्रवि० मझेडा, यमकेश्वर	राप्राप्रवि० धमण्डपुर, दुगड़ा
10	रझा अहमद	राप्राप्रवि० बुरांसी, द्वारीखाल	राप्राप्रवि० कलालघाटी, द्वि०, दुग०
11	राजेन्द्र सिंह	राप्राप्रवि० कुई, पाबौ	राप्राप्रवि० फरसूला, दुगड़ा
12	शकील अहमद	राप्राप्रवि० खलपाडी, दुगड़ा	राप्राप्रवि० आमसौड, दुगड़ा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर ऊच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

२५४३-५४
(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्रशि०)

पौड़ी गढ़वाल।

पृष्ठा०/०४ बोस्थापो/ २५४३-५४ / स्थाना०/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 4- जिलाधिकारी गढवाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की ड्यूटी नगर निकाय चूनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

२५८१९
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रांशु)
पौड़ी गढवाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 आदेश संख्या /०४ब०स्थाप०/ 73 /स्थाना०/ 2019-20 दिनांक २५ जून 2019

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-152/ XXX(2)/ 19/ 30(13)/ 2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०३० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	अरुणा भण्डारी	रा०प्रा०वि० धार्मिखाल, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० लक्ष्मणझूला, यमकेश्वर	I
2	नीरज कान्त कोटनाला	रा०प्रा०वि० चुरानी, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० कलालघाटी प्र०, दुगड़ा	I
3	अर्जुन सिंह	रा०प्रा०वि० धेरुवा, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० सिम्मलचौड़, दुगड़ा	I
4	निर्मला डबराल	रा०प्रा०वि० कर्तिया, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० मोहरा, दुगड़ा	I
5	शबनम खातून	रा०प्रा०वि० सुन्द्रोली, रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० हल्दूखाता, दुगड़ा	III
6	प्रदीप कुमार नैथानी	रा०प्रा०वि० खल्म्युखेत, पोखड़ा	रा०प्रा०वि० कोटडीडांग, दुगड़ा	IV
7	शैलजा भण्डारी	रा०प्रा०वि० जखड़, पोड़ी	रा०प्रा०वि० कलियासौड, खिर्सू	IV
8	उर्वशी चौहान	रा०प्रा०वि० सबधरखाल, कोट	रा०प्रा०वि० कोटडी, खिर्सू	IV
9	राजेश बलोदी	रा०प्रा०वि० बेडगांव, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० जयगांव, दुगड़ा	IV
10	प्रेमलता रावत	रा०प्रा०वि० धारी, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० जशोधरपुर, दुगड़ा	IV
11	इनिता नेही	रा०प्रा०वि० दशमेरी, द्वारीखाल	रा०प्रा०वि० फतेहपुर, दुगड़ा	V
12	करनपाल सिंह	रा०प्रा०वि० गाडखर्क, बीरौंखाल	रा०प्रा०वि० हीराखाल, यमकेश्वर	V
13	मीना रावत	रा०प्रा०वि० स्टूंसी, बीरौंखाल	रा०प्रा०वि० दलीपपुर, दुगड़ा	V
14	अमित कुमार शर्मा	रा०प्रा०वि० सुकई, बीरौंखाल	रा०प्रा०वि० बिलकोट, नैनीडांडा	VI
15	गुमान सिंह रावत	रा०प्रा०वि० मातोली, थलीसैण	रा०प्रा०वि० औलंथ, नैनीडांडा	VI
16	महेश प्रसाद डोभाल	रा०प्रा०वि० विजयनगर, पाबौ	रा०प्रा०वि० ओडलीनांदा, पाबौ	VI
17	राजेश कुमार पाण्डेय	रा०प्रा०वि० वैनपुर, बीरौंखाल	रा०प्रा०वि० भौन, नैनीडांडा	VI
18	मीनाक्षी	रा०प्रा०वि० गुडियलखील, बीरौंखाल	रा०प्रा०वि० भूषणखाल, नैनीडांडा	VI
19	सुरेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० बनेख, पाबौ	रा०प्रा०वि० बजवाड, पाबौ	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
 - स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

25/6/19
 (कै०एस०रावत)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्रशि०)
 पौड़ी गढ़वाल।

पृष्ठा०/०४ ब०स्था०/ २५०७-१८ /स्थाना०/ 2019-20 दिनांक उक्तवत्।
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पृष्ठा 04 बोर्ड स्थान 2371-82 / स्थाना 0/2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-

- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
 - 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
 - 4- जिलाधिकारी गढवाल।
 - 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
 - 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
 - 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
 - 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
 - 9- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं की डयूटी नगर निकाय चुनाव में लगी हुयी है उन्हें आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
 - 11- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
 - 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्राप्तिशिक्षा)
पौड़ी गढवाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०) जनपद पौडी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बोस्थाप०/ 70 /स्थाना०/2019-20 दिनांक 25 जून 2019

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या—152/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 07 जून 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निनांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०प्रा० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	चित्रा कन्नौजिया	रा०प्रा०वि० जलेथा, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० गूम, द्वारीखाल
2	मन्जू रावत	रा०प्रा०वि० झण्डीचौड़ उ०, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० भूमिया, एकेश्वर
3	सायरा बानो	रा०प्रा०वि० अगरोड़ा, कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० सिंगोरी, खिर्सू
4	माधुरी देवराडी	रा०प्रा०वि० कोटडीढांग, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० मासौं, एकेश्वर
5	मन्जू नेगी	रा०प्रा०वि० धमण्डपुर, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० गढकोट, बीराँखाल
6	शोभा सनवाल	रा०प्रा०वि० साङ्गासैण, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० जामरी, बीराँखाल
7	मन्जू कपूर	रा०प्रा०वि० गौलीखेत, जयहरीखाल	रा०प्रा०वि० लसेरा, कोट
8	शोभा खर्कवाल	रा०प्रा०वि० जशोधरपुर, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० मरोड़ा, थलीसैण
9	बबीता नेगी	रा०प्रा०वि० झण्डीचौड़, पशि०, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० भलगांव, द्वारीखाल
10	संगीता पवार	रा०प्रा०वि० कलालघाटी, I, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० रणगांव, थलीसैण
11	कान्ता,	रा०प्रा०वि० भैडगांव, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० किमवाडी, थलीसैण
12	माधुरी नेगी	रा०प्रा०वि० कलालघाटी, I, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० थान, थलीसैण
13	गरिमा खर्कवाल	रा०प्रा०वि० कलालघाटी, II, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० बरसूडी, द्वारीखाल
14	मधु ध्यानी	रा०प्रा०वि० आमसौड, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० कफलगांव, थलीसैण
15	चारुसमिता डंगवाल	रा०प्रा०वि० चडीगांव, खिर्सू	रा०प्रा०वि० सुमाडी, खिर्सू
16	प्रवीन जहां	रा०प्रा०वि० फरसूला, दुगड़ा	रा०प्रा०वि० गडसारी, थलीसैण
17	उषा रावत	रा०प्रा०वि० खिर्सू	रा०प्रा०वि० डंगू, खिर्सू
18	रेखा रानी पुरोहित	रा०प्रा०वि० गंगामोगपुर, मल्ला, यमकेश्वर	रा०प्रा०वि० बुर्गीधार, थलीसैण
19	ममता रावत	रा०प्रा०वि० बलोड़ी, एकेश्वर	रा०प्रा०वि० चैलूसैण, द्वारीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

२५/६/१९
 (के०एस०रावत)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
 पौडी गढ़वाल।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राऊशि०)
पौड़ी गढवाल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक / 04बोस्था० / 2478 / स्था०आदेश / 2019-20 / दिनांक 25 जून 2019

विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार निर्गत स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न:- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्थानान्तरण आदेश।

भवदीय,

५५८१९
(क०एस०रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्राऊशि०)
पौड़ी गढवाल।